न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
189/2015	01.01.2015	01.5.2023

उनवान

1. राजकुमार उर्फ रामकुवार पुत्र नाथिया जाति राजकुम्हार निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना

वादी।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र शिशुपाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा .... मृतक।
 1/1 हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा .... मृतक।
 1/1/1 शिवरतन पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
 1/1/2 गोपाल पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
 1/1/3 मुकेश पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
 1/1/4 प्रेम पुत्री हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
 1/1/5 सुनीता पुत्री हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा। हाल पत्नी बिट्टू जाति राजकुम्हार निवासी पतराम गेट चेजारा की ढाणी धानका की गली नं. 03 भिवानी हरियाना।
 1/2 हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
2. भोरेलाल पुत्र शिशुपाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
3. शेरसिंह पुत्र रोशनलाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।

प्रतिवादीगण।

दावा दखलयाबी एंव हु0ई0दवामी

उपस्थिति:—

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख.नं. 1013/06—18 जिसके हाल ख.नं. 1468/0.06, 1415/0.90, कायम किये गये है। तथा वादी के साबिक ख. नं. 1013 के उत्तरी पूर्वी कोने पर आराजी ख.नं. साबिक 1005 मे कुआ बना हुआ था। तथा आराजी साबिक ख0नं0 1004 प्रतिवादीगण की आराजी हे।
2. साबिक ख.नं. 1005 मे जो पूराना कुआ बना हुआ था, जिसमे पानी सूख गया तथा बन्द हो चुका हे जिसको हम वादी एवं प्रतिवादीगण द्वार उसमे मिटटी डालकर जमीन के शामिल प्लेन कर दिया था तथा साबिक ख.नं. 1013 वादी की आराजी थी जो कुऐ की जमीन को अपनी तरफ की वादी काश्त करता था तथा प्रतिवादी की तरफ की जमीन को वो काश्त करते रहे है। अब प्रति0 साबिक ख.न. 1013 वादी की आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने पर लाठी के बल पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है तथा दिवार का निर्माण करना चाहते है जबकि उनको ऐसा करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। तथा वादी की साबिक ख.न. 1013 मे जबरन प्रवेश कर उत्तरी पूर्वी कोने पर नींव खोद कर निर्माण करने की जुस्तजु मे है। इसलिए यह हु0ई0 दवामी का दावा किया जाना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.

Sidd/2023

3. प्रति0 सं. 1/1/1 से 1/1/3 द्वारा दौराने दावा के ख.नं. 1468 के पश्चिम भाग पर जबरन कब्जा कर उसमे ईंधन रूडी छडी डाल दी एंव पशुओं के गोबर के उपलों का बटेवडा लगा दिया गया जबकि ऐसा करने का उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। दौराने दावा स्थगन मिन वादी की खातेदारी के ख0नं0 पर कब्जा करने से मिन वादी के हकूक प्रभावित होते है। इसलिए मिन वादी न्यायहित मे मिन वादी की खातेदारी के ख.नं. 1468 के पश्चिम भाग पर प्रति0 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाकर दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए मौके पर वादी को दखल दिलाया जाना न्यायासंगत है।

अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–

4. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–

(क) डिक्री हु0ई0दवामी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादर अता फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0दवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी की आराजी साबिक ख0नं0 1013 जिसके हाल ख.नं. 1468 एंव 1514 बने है मे जबरन प्रवेश नही करे था। तथा तरफ उत्तरी पूर्वी कोने मे जहा कुआ बना हुआ था जो ख.नं. साबिक 1005 मे था वहा पर प्रतिवादीगण जबरन लाठी के बल पर जबरन कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही गंदा पानी डाले बाज रहे मौके की यथा स्थिति कायम रखे।

(क–1) डिक्री मिसमारी एंव दखलयाबी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं. 1/1/1 से 1/1/3 इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादी सं0 1/1/1 से 1/1/3 द्वारा वादी की खातेदारी के ख.नं. 1468 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना के पश्चिमी भाग पर दौराने दावा व स्टे जबरन रूप से डाले गये ईधन रूडी व छडी व बटेवडे को प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जा कर वादी को दखल दिलायें जाने कि घोषणा फरमाई जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

6. वादी ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01,ग्यारसीलाल पुत्र भौरेलाल जाति धानक का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02, पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 01,नकल जमाबंदी संवत 2056 प्रदर्श 02, नकल नक्शा ट्रैस संवत 2038 प्रदर्श 03, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस प्रदर्श 04, नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 पेश किये है।

7. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 के अनुसार साबिक ख.नं. 1005 रकबा 07 बिस्वा गै0मु0चाहा का बुद्वराम 1/3, रूडमल 1/3, पिता जयकिशन व भोलाराम वल्द मनूसखा 1/6, केसर बेवा लालराम 1/6, जाति राजकुम्हार साकिन नीमराना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 01 के अनुसार हाल ख.नं. 1468/0.06, 1514/0.90 साबिक ख.नं. 1013 / 03–09 से बने है। जमाबंदी संवत 2056 के अनुसार हाल ख.नं. 1468/0.06, 1514/0.90 वादी राजकुमार पुत्र नाथिया जाति राजकुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जिससे साबित है कि उक्त हाल ख.नम्बरान वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। फोटोप्रति नक्शा ट्रैस प्रदर्श 04 के अनुसार साबिक ख0नं0 1005, 1014, 1013 आपस मे लगते हुये है। तथा नक्शा ट्रैस प्रदर्श 03 के अनुसार ख.नं. 1468, 1514 आपस मे लगते हुये है। वादी द्वारा साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथपत्र के अवलोकन से वादी के वादी की पुष्टि होती है। हाल ख.नं. 1468 एंव 1514 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी

की आराजी है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। वादी प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होता है तथा काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वो वादी की आराजी साबिक ख0नं0 1013 जिसके हाल ख.नं. 1468 एंव 1514 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा तह0 नीमराना बने है मे जबरन प्रवेश नही करे । तथा तरफ उत्तरी पूर्वी कोने मे जहा कुआ बना हुआ था जो ख.नं. साबिक 1005 मे था वहा पर प्रतिवादीगण जबरन लाठी के बल पर जबरन कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही गंदा पानी डाले बाज रहे मौके की यथा स्थिति कायम रखे। तथा डिक्री मिसमारी एंव दखलयाबी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं. 1/1/1 से 1/1/3 इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1/1/1 से 1/1/3 द्वारा वादी की खातेदारी के ख.नं. 1468 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना के पश्चिमी भाग पर दौराने दावा व स्टे जबरन रूप से डाले गये ईंधन रूडी व छडी व बटेवडे को प्रतिवादीगण स्वयं हटा लेवे तथा वादी की आराजी के जिस भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है उस पर वादी को दखल दिलाया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.5.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

01/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 189/2015

रजू. दिनांक 01.01.2015

निर्णय दिनांक 01.5.2023

उनवान

1. राजकुमार उर्फ रामकुवार पुत्र नाथिया जाति राजकुम्हार निवासी ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना

वादी।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र शिशुपाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा .... मृतक।
   1/1 हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा .... मृतक।
   1/1/1 शिवरतन पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
   1/1/2 गोपाल पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
   1/1/3 मुकेश पुत्र हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
   1/1/4 प्रेम पुत्री हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
   1/1/5 सुनीता पुत्री हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा। हाल पत्नी बिट्टू जाति राजकुम्हार निवासी पतराम गेट चेजारा की ढाणी धानका की गली नं. 03 भिवानी हरियाना।
   1/2 हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
2. भोरेलाल पुत्र शिशुपाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।
3. शेरसिंह पुत्र रोशनलाल जाति राजकुम्हार निवासी दौलतसिंहपुरा।

प्रतिवादीगण।

दावा दखलयाबी एंव हु0ई0दवामी

स्थिति:-

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 01.5.2023

-::पर्चा डिक्री::-

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वो वादी की आराजी साबिक ख0नं0 1013 जिसके हाल ख.नं. 1468 एंव 1514 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा तह0 नीमराना बने है मे जबरन प्रवेश नही करे । तथा तरफ उत्तरी पूर्वी कोने मे जहा कुआ बना हुआ था जो ख.नं. साबिक 1005 मे था वहा पर प्रतिवादीगण जबरन लाठी के बल पर जबरन कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही गंदा पानी डाले बाज रहे मौके की यथा स्थिति कायम रखे। तथा डिक्री मिसमारी एंव दखलयाबी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं. 1/1/1 से 1/1/3 इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1/1/1 से 1/1/3 द्वारा वादी की खातेदारी के ख.नं. 1468 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना के पश्चिमी भाग पर दौराने दावा व स्टे जबरन रूप से डाले गये ईधन रूडी व छडी व बटेवडे को प्रतिवादीगण स्वयं हटा लेवे तथा वादी की आराजी के जिस भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है उस पर वादी को दखल दिलाया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

01/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना